उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
संख्या- (10/2015)9/6/35-आ-2/2007-70
लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उप धारा-(4) के खण्ड (ड.) के अधीन जनपद बाराबंकी की जिला योजना समिति में सदस्य के रूप में कार्यलय-ज्ञाप संख्या-(2659/2015)9/6/35-आ-2/2007-70 दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 द्वारा अन्य के साथ ही श्री मौलाना मैराज अहमद, रसौली, बाराबंकी को भी नाम-निर्दिष्ट किया गया था। एतद्द्वारा उक्त कार्यालय-ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए श्री मौलाना मैराज अहमद के स्थान पर डा. कुलदीप सिंह, जी. बी. एस. नर्सिंग होम, छाया कमल रोड, बाराबंकी को जिला योजना समिति, बाराबंकी के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव, नियोजन।

संख्या: (10/2015)9/6/35-आ-2/2007-70, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ ।
2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3- मा. उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।
4- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
7- मण्डलायुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।
8- जिलाधिकारी, बाराबंकी ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी ।
10- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी ।
11- सम्बंधित व्यक्ति।
12- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
13- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ. प्र. को इस आशय से प्रषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंश में प्रकाशित कर दें ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव, नियोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in